न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 03/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 मु. सुशीला पत्नि रामप्रसाद दरोगा उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 मु. भूरी पत्नि रामस्वरूप दरोगा उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

3 मु.विमला पत्नि हरिसिंह दरोगा उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1 रामधन पिता रामकरण खाती उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 हगामा पिता रामकरण खाती उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

3 रामचन्द्र पिता रामकरण खाती उम्र–वयस्क निवासी नन्दा का खेडा, धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– प्रार्थीगण स्वयं
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक 14.10.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 08.01.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 711 के आराजी संख्या 3254, 3255/3514, 3256, 3263 किता 4 रकबा 1.54 हैक्ट. प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण शुरूआत से अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षीगणों की आराजी संख्या 3264, 3266 की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 3264, 3266 में से भूमि की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक [illegible] को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। कार्यालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:40:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां, जिला–भीलवाड़ा

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप दिनांक 14.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा विहित समायावधी में जवाव प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। शिविर में मौजूद प्रार्थीगण ने अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी वावत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें रास्ता कायमी हेतु ग्राम धनोप स्थित आराजी संख्या 3267 रकबा 0.07 हैक्टे. में से 0.031 हैक्टे. (319 वर्गमीटर) को प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले अधिक सुगम एवं निकटतम प्रस्तावित किया गया है। आराजी संख्या 3267 का हक आधिपत्य भी अप्रार्थीगण के पक्ष में ही है। अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को केवल आराजी संख्या 3267 रकबा 0.07 हैक्टे. में से 0.031 हैक्टे. (319 वर्गमीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए प्रत्येक आराजीयात रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थीगण को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणो ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा 20 फिट का रास्ता चाहा गया है, एवं उसी अनुरूप अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थीगण की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा ग्राम धनोप स्थित आराजी संख्या 3267 रकबा 0.07 हैक्टे. में से 0.031 हैक्टे. (319 वर्गमीटर) निकटतम एवं सुविधाजनक प्रस्तावित नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम धनोप स्थित आराजी संख्या 3267 रकबा 0.07 हैक्टे. में से 0.031 हैक्टे. (319 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा [illegible] जावे [illegible] आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 3267 के [illegible]दार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर [illegible] 0.031 हैक्टेयर (319 वर्गमीटर) मालियत राशि की तिगुनी राशि 26,154/– [illegible] (0.031 हैक्टेयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसला [illegible]ार हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:40:07 IST
Reason: SelfAttested

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला–भीलवाड़ा